

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी— श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 212 / 2025 / बाड़मेर

### अपीलांत

### रेस्पोंडेंटगण

1. किशनाराम पुत्र सदराम	1. लाधूराम पुत्र बुधराराम
2. जगमालराम पुत्र पोकराराम द्वारा बेचान	2. वनू पत्नी लाधूराम, जाति विश्नोई, निवासी कुम्हारों की बेरी, कोजा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
2/1. हनुमानराम पुत्र जगमालराम	3. नैनाराम पुत्र पोकराराम द्वारा बेचान
2/2. रामजीवन पुत्र जगमालराम	3/1. मोहनराम पुत्र नैनाराम
3. रामेश्वरी पत्नी हनुमानराम	3/2. ओमप्रकाश पुत्र नैनाराम, जाति विश्नोई निवासी कुम्हारों की बेरी, कोजा तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
4. हनुमानराम पुत्र जगमालराम, जाति विश्नोई, निवासी कुम्हारों की बेरी, तहसील धोरीमन्ना	4. सगराम पुत्र भारमल, जाति विश्नोई, निवासी सुदाबेरी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
5. जगमालराम पुत्र ठाकराराम :	5. टीपू पत्नी तगाराम
6. भाखराम पुत्र ठाकराराम	6. डूंगराराम पुत्र ईशराराम
7. भागीरथराम पुत्र सदराम	7. निम्बाराम पुत्र तगाराम
8. मंगलाराम पुत्र ठाकराराम	8. भैराराम पुत्र तगाराम
9. सुखराम पुत्र ठाकराराम, जाति विश्नोई, निवासी आलपुरा, तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर।	9. सदराम पुत्र ईशराराम, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी कुम्हारों की बेरी, कोजा तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर
10. जेकनराम पुत्र सदराम	10. शाखा प्रबंधक, एसबीआई शाखा भूणिया
11. बबी पत्नी सदराम, जाति विश्नोई, निवासी पूंजाबेरी, तहसील गुडामालानी	11. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा धोरीमन्ना
12. केसरी पत्नी विरधाराम	12. तहसीलदार, धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
13. बाबूराम पुत्र वागाराम	
14. मोहनलाल पुत्र वागाराम	
15. विरधाराम पुत्र वागाराम	
16. शांति पत्नी हरीराम	
17. हरीराम पुत्र वागाराम, जाति विश्नोई, निवासी राणासर कला, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।	
18. फगलूराम पुत्र जोगाराम फौत के का. मु.—	
18/1. सुजानाराम पुत्र फगलूराम	
18/2. भाखराराम पुत्र फगलूराम	
18/3. गंगाराम पुत्र फगलूराम	
18/4. भागीरथ पुत्र फगलूराम, जाति विश्नोई, निवासी पूंजाबेरी तहसील गुडामालानी।	
19. सगराम पुत्र भारमल, जाति विश्नोई, निवासी सुदाबेरी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।	

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2022 बउनवान लाधूराम बनाम किशनाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2025 के विरुद्ध पेश हुई।

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

**उपरिस्थिति:-**

1. वकील श्री केसराराम विश्नोई अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उत्तरदाता संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोंडेन्ट अनुपरिस्थित।

**—:निर्णय:—**

दिनांक:-07.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि रेस्पों./वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी खेत मौजा राणासर कला, पटवार क्षेत्र राणासर कला, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 155 रकबा 45.7294 हेक्टेयर की आराजी आई हुई है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा कब्जा काश्त है। वादी का राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अंकित है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान काबिज-काश्त हैं। वर्तमान में प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा वादी/रेस्पों. के कब्जे काश्त को जबरन उसके हिस्से से बेदखल, अजनबी क्रेता को बेचान एवं वादग्रस्त आराजी पर जबरन पक्का निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवीन कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेषों. संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि रेषों. /वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी खेत मौजा राणासर कला, पटवार क्षेत्र राणासर कला, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 155 रकबा 45.7294 हेक्टेयर की आराजी आई हुई है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा कब्जा काश्त है। वादी का राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अंकित है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान काबिज-काश्त हैं। अपीलांट/प्रतिवादीगण वादी को उसके कब्जे काश्त से जबरन बेदखल, अजनबी क्रेता को बेचान एवं वादग्रस्त आराजी पर जबरन पक्का निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा कब्जा काश्त हैं। वादी का राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अंकित है। मौके पर प्रतिवादी द्वारा अपीलांट को दखल किया जाकर जबरन पक्का निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर पत्रावली को वास्ते जवाब एवं तामील हेतु नियत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक तामील के ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए दिनांक 03.01.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। उक्त निर्णय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय से पूर्व प्रतिवादी संख्या 06 चम्पा देवी व प्रतिवादी संख्या 13 फगलूराम का देहान्त हो चुका था। ऐसी दशा में रेषों. संख्या 1 व 2 (वादीगण) द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय पारित करवाया गया है जो विधि द्वारा बाधित है। अपीलाधीन अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त फौतगी के समस्त वैध वारिसों को रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों से परे जाकर वारिसान को बिना रिकार्ड पर लिये ही आनन-फानन में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित की गई जो विधि संगत नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरुद्ध बिना विधिक तामील के एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया है। जिसमें अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि विधि अनुसार सहखातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। जिसका अपीलाधीन निर्णय में अभाव है। उक्त प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया था। विभाजन प्रस्ताव सभी खातेदारों को आनुपातिक रूप से कब्जे काश्त

अनुसार माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित नहीं किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने-अपने हिस्से एवं कब्जे-काश्त अनुसार बराबर-बराबर किया जाना आवश्यक था, किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों को अभाव प्रतीत होता है। अपीलाधीन निर्णय के पद संख्या 06 में लिखा है कि दिनांक 27.02.2025 को नोटिस जारी कर दिनांक 24.03.2025 को मौके पर उपस्थित रहने हेतु कहा गया था जबकि ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया था, मात्र कागजों में खानापूर्ति की गई थी। जारी नोटिस में दिनांक 24.03.2025 को मौका देखने का अंकित किया गया है जबकि वास्तव में दिनांक 20.03.2025 को ही मौका देख लिया गया था। और निर्णय में 22.03.2025 को मौका देखा जाना लिखा गया है। अपीलांट को बिना विधिक सूचना के ही एकतरफा मौका देखा जाकर रेषों को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव को आधार बनाकर दिनांक 29.07.2025 को निर्णीत कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरुद्ध है। उक्त अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन-फानन में ही आदेश जारी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

उत्तरदाता की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया रेषों संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि रेषों/वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी खेत मौजा राणासर

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बादमेर

कला, पटवार क्षेत्र राणासर कला, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 155 रकबा 45.7294 हेक्टेयर की आराजी आई हुई है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा कब्जा काशत है। वादी का राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अंकित है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान काबिज-काशत हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतया: विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा-काशतशुदा है। रेष्यों. (वादीगण) को अपनी हक-हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैंक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काशत अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिसको आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई थी। अपीलांट को जरिये डाक नोटिस प्रेषित किये गये, जो विधिवत रूप से अपीलांट्स को तामील होने के बावजूद एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अपीलांट न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई जो विधि संगत है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। जहां तक हिस्से को लेकर प्रश्न है उसके बारे में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए सभी खातेदारों को कब्जा-काशत के अनुसार बराबर-बराबर हिस्सों में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त के संबंध में अपीलांट के कथनों का कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय में सभी सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने-अपने हिस्से एवं कब्जे-काशत अनुसार बराबर-बराबर किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांट्स की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के पश्चात् यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा पारित

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

किया गया है। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में वादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार की फौतगी पर उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना आज्ञापक था जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव पाया गया है। अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विरुद्ध होने से विधि द्वारा वाधित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर पारित नहीं किया गया है। मौका देखने से पूर्व उभयपक्ष को सूचित करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका देखा जाना आज्ञापक था, जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव प्रतीत होता है। अपीलाधीन निर्णय में उक्त सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने-अपने हिस्से एवं कब्जे-काश्त अनुसार बराबर-बराबर किया गया जाना आवश्यक था, किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों को अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया।


अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2022 बउनवान लाधूराम बनाम किशनाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2025 विधि की पूर्ण पालना के अभाव में अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई


(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

अपील संख्या 212/2025  
बउनवान किशनाराम वगैरह बनाम लाधूराम वगैरह

मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

  
21/10/2025  
(नवनीत कुमारी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर - बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
21/10/2025  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर (नवनीत कुमारी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर